न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 71/2019

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. भीकी पुत्री पूनारामजी पत्नी पेमारामजी बावरी निवासी–खिनावड़ी तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।		1. तहसीलदार, तहसील कार्यालय जैतारण। 2. पटवारी पटवार हल्का फुलमाल, जैतारण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

तारीख रजू:.29/05/2019

उपस्थितः–

1. श्री प्रकाशचन्द्र चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. सरकारी पैरोकार, तहसीलदार जैतारण, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 16/12/2019

वकील प्रार्थी भवानीसिंह पुत्र पाबूसिंह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का पेश किया कि सरहद मौजा–खिनावड़ी पटवार हल्का फुलमाल तहसील– जैतारण में प्रार्थीया एवं सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी की जमीन खसरा नंबर 135 रकबा 34–11 किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 137 रकबा 08–18 किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 139 रकबा 03–14 किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। उपरोक्त खातेदारी जमीन की चालू जमाबन्दी की नकले प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है, जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग समझा जावें। प्रार्थीया की माता झमकुड़ी के देहान्त होने पर नामान्तकरण संख्या 635 दिनांक 03.06.2015 प्रार्थीया के नाम भरा गया, लेकिन नामान्तकरण भरते समय गलती व भूल से प्रार्थीया का नाम भीकली नाम दर्ज कर दिया गया, उक्त खातेदारी जमीन में प्रार्थीया का हक हिस्सा आता है तथा प्रार्थीया अपने हक हिस्से की जमीन पर काबिज होकर जमीन का उपयोग उपभोग करते आ रही है, राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम दर्ज है। प्रार्थीया का राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज करते समय सवरण व गलती से कही भीकली दर्ज कर दिया गया है तथा जबकि प्रार्थीया का वास्तविक व सही नाम भीकी है प्रार्थीया के राशनकार्ड, परिचय पत्र, आधारकार्ड व अन्य सभी दस्तावेज में प्रार्थीया का नाम भीकी दर्ज है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगया का नाम भीकली दर्ज हो जाने से प्रार्थीया को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, राजस्व रेकर्ड में उक्त नाम गलत इन्द्राज हो गया है, जो एक मानवीय त्रुटि भूल है उक्त राजस्व में चल रही त्रुटि को संशोधन करवाने के प्रार्थीया हकदार व अधिकारी है। प्रार्थीया गरीब व अनपढ महिला है प्रार्थीगया को उक्त त्रुटि की पूर्व में जानकारी नहीं थी, प्रार्थीया ने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी की नकल दिनांक 23.04.2019 को प्राप्त की, तब प्रार्थीया को उक्त त्रुटि की जानकारी हुई, तब प्रार्थीगया ने अप्रार्थी संख्या 02 पटवारी को उक्त तथ्यों की जानकारी दी, तथा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का सही नाम सही इन्द्राज करवाने का कहां तब अप्रार्थी संख्या 02 पटवारी द्वारा मना करने पर यह प्रार्थना पत्र संशोधन का माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व रेकर्ड में अन्य खातेदारों से प्रार्थीया को किसी प्रकार की रिलीफ की आवश्यकता नहीं होने के कारण उन्हें प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थीया को उक्त त्रुटि की जानकारी होते ही यह प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम भीकली के स्थान पर उसका वास्तविक व सही नाम भीकी संशोधन किए जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ, सा. मि. है।

तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2075-2078 में खसरा नंबर 135, 137, 139 मौजा खिनावड़ी में प्रार्थीया सह खातेदार के रूप में दर्ज है जो कि सही है। मौजा खिनावड़ी में नामा. संख्या 635 दिनांक 03.06.2015 से प्रार्थीया का भीकली दर्ज होकर जमाबन्दी में अमल-दरामद हो गया, जो कि बदस्तूद है। आम बोलचाल एवं ग्रामीण अंचल में प्रार्थीया को भीकली नाम से ही पुकारा जाता है। परन्तु प्रार्थीगया का शुद्ध नाम यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड में भीकी दर्ज है, अतः भीकली के स्थान पर भीकी पुत्र पूनाराम करना उचित है। प्रार्थीया का नाम भीकली के स्थान पर भीकी करना उचित है। प्रार्थीया मौके पर अपने हिस्से पर काबिज है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं जवाब प्रार्थना पत्र तहसीलदार, जैतारण का अध्ययन किया, विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौजा खिनावड़ी, की जमाबन्दी संवत 2075-2078 के खसरा संख्या 135, 137 व 139 में भीकली बतौर खातेदार है। प्रार्थिया का कथन है कि भीकली उसका आम बोलचाल का नाम है और वास्तविक नाम भीकी है। तहसीलदार, जैतारण ने भी अपनें जवाब प्रार्थना-पत्र में उक्त अनुतोष प्रदान करनें की सहमति प्रदान की है। यह भी सही है कि पश्चिमी राजस्थान में वस्तुतः आधे-अधुरे नाम से पुकारना एक परम्परा रही है तथा अधिकांश अशिक्षित लोगों के ऐसे ही आम प्रचलित नाम हुबहू राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होते रहे हैं क्योंकि वास्तविक एवं पूर्ण नाम से संबंधित कोई दस्तावेजात ही नीं होते है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे आधे-अधूरे एवं असम्मानजनक नामों को सम्मानजनक नामों से प्रतिस्थापित किए जानें के निर्देश रहे हैं। प्रार्थिया के शपथ-पत्र, पहचान-पत्र एवं तहसीलदार, जैतारण के जवाब प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट है कि वस्तुतः

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

भीकी एवं भीकली एक ही व्यक्ति है जो कि पूनाराम की पुत्री है, जिसका प्रश्नगत आराजी में 1/7 वां हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। अतः हम प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया अंतर्गत धारा-136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 भली-भांति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि वह ग्राम-खिनावड़ी, पटवार हल्का-फुलमाल, तहसील-जैतारण के खाता संख्या नया-119, पुराना-88, के खसरा संख्या 135, 137 व 139 कुल 03 खसरा संख्याओं की रकबा 47-03 में बतौर खातेदार दर्ज प्रविष्टि " भीकली पुत्री पूनाराम 1/7 कौम बावरी, सा.देह खातेदार" के स्थान पर शुद्ध प्रविष्टि " भीकी पुत्री पूनाराम 1/7, कौम-बावरी, सा.देह खातेदार" का इन्द्राज करें। तहसीलदार, जैतारण की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 16/12/2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.12.19 12:37:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: